भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 2743

उत्तर देने की तारीख-05/08/2025

दिव्यांगजन

2743. श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों में दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) के कल्याण, कौशल विकास और समावेशी बुनियादी ढांचे के लिए कोई बड़ी परियोजनाएं अथवा पहल आरम्भ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि अपर्याप्त बजट आवंटन और वित्तपोषण की कमी के कारण ऐसी कई परियोजनाएं विलंबित हैं अथवा अधूरी रह गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, जिसमें इस संबंध में स्वीकृत और आवश्यक धनराशि पर लंबित परियोजनाओं की संख्या भी शामिल है;

(घ) देश में दिव्यांगजनों के लाभ के लिए वित्तपोषण की कमी को दूर करने और समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) विगत पांच वर्षों के दौरान बजट और व्यय का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी.एल. वर्मा)

(क) से (ङ): भारत सरकार ने दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण और उत्थान के लिए कई पहल की हैं। दिनांक 19.04.2017 से प्रभावी दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्ल्यूडी) अधिनियम, 2016 में दिव्यांगताओं के प्रकार को 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है तथा यह अधिनियम समानता, शिक्षा, रोजगार और सुगम्यता जैसे अधिकारों को सुनिश्चित करता है।

हालांकि भारत के संविधान की राज्य सूची की प्रविष्टि 9 के अनुसार दिव्यांगजनों को राहत प्रदान करना राज्य का विषय है, केंद्र सरकार अपनी विभिन्न योजनाओं और प्रमुख पहलों के माध्यम से कल्याण, कौशल विकास और समावेशिता के साथ, सुगम्य भारत के प्रयासों का समर्थन करती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं: -

(1) सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों में उनकी गतिशीलता, स्वतंत्रता और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से निर्मित सहायक यंत्रों और उपकरणों जैसे व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, कृत्रिम अंग, स्मार्ट बेंत, मोटरचालित तिपहिया साइकिल और कम दृष्टि वालों के लिए पात्र दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किये जाते हैं। पात्र लाभार्थियों को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण वितरित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां संवितरित की जाती है। हाल ही में विभाग ने एडिप योजना की प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी, एलिम्को के माध्यम से 76 प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्रों (पीएमडीके) की स्थापना की है जो एडिप योजना के तहत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान करने के लिए वॉक-इन केंद्रों के रूप में काम कर रहे हैं।

(2) दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस):- दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत दिव्यांगजनों को अपने इष्टतम, शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक या सामाजिक कार्यात्मक स्तरों को बनाए रखने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से स्वैच्छिक संगठनों/राज्य परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को (i) जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केन्द्रों (डीडीआरसी) की स्थापना और (ii) दिव्यांगजनों के कल्याण/सशक्तिकरण के लिए विभिन्न परियोजनाओं को चलाने हेतु, जिसमें दृष्टि, श्रवण और बौद्धिक दिव्यांग बच्चों सहित प्रमस्तिष्क घात आदि वाले बच्चों के लिए विशेष स्कूल शामिल है, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(3) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना: विभाग दिव्यांग छात्रों की वित्तीय, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने, दिव्यांग छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने और गरिमा के साथ जीने में सक्षम बनाने के उद्देश्य से दिव्यांगजनों के लिए प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, टॉप क्लास एजुकेशन, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप और निःशुल्क कोचिंग योजनाओं नामक छह घटक शामिल करते हुए 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति' नामक व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है । पूरे भारत में छात्रों के बैंक खातों (डीबीटी मोड) में निधियां सीधे वितरित की जाती हैं।

(4) **सिपडा**: मंत्रालय निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (सिपडा) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसे दिव्यांगजन (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम में उल्लिखित गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु समय-समय पर संशोधित किया जाता है। सिपडा योजना एक व्यापक "केंद्रीय क्षेत्र योजना" है जिसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं-

(i) **यूडीआईडी योजना:** यूडीआईडी (विशिष्ट दिव्यांगता आईडी) योजना दिव्यांगजनों के लिए सिंगल डिजिटल आईडी कार्ड प्रदान करती है, जिससे सरकारी लाभों तक उनकी पहुंच सुगम हो जाती है। यह अनावश्यक दस्तावेजीकरण को समाप्त करता है, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, एवं कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों से सीधे जोड़कर समावेशिता को बढ़ावा देता है, तथा दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों और अवसरों तक आसान पहुंच प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है।

(ii) **दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी)** : दिव्यांगजनों के कौशल को बढ़ाने, उन्हें लाभकारी रोजगार पाने में सक्षम बनाने तथा उन्हें आत्मनिर्भर, उपयोगी और समाज में योगदान देने वाला सदस्य बनाने के लिए विभाग दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपी-एसडीपी) नामक कौशल योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, विभाग के साथ प्रशिक्षण भागीदार (ईटीपी) के रूप में पैनलबद्ध विभिन्न सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 से 59 वर्ष की आयु के दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(iii) **सुगम्य भारत अभियान:** विभाग ने दिव्यांगजनों को सार्वभौमिक सुगम्यता प्रदान करने के लिए सुगम्य भारत अभियान को एक राष्ट्रव्यापी प्रमुख अभियान के रूप में संकल्पित किया है, ताकि दिव्यांगजनों को समान अवसर प्राप्त करने, स्वतंत्र रूप से रहने और उन्हें समावेशी समाज में जीवन के सभी पहलुओं में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जा सके। इस अभियान का लक्ष्य निर्मित वातावरण, परिवहन प्रणाली और सूचना एवं संचार पारिस्थितिकी तंत्र की सुगम्यता को बढ़ाना है।

(iv) **क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) के अंतर्गत वास्तविक और वित्तीय उपलब्धियां:** दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर (सीडीईआईसी) की योजना शुरू की है। ये केंद्र विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को व्यापक सहायता प्रदान करने के लिए देश भर के विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) और समेकित क्षेत्रीय केंद्रों (सीआरसी) में स्थापित किए गए हैं। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की शीघ्र पहचान, जांच (स्क्रीनिंग) और उन्हें समय पर पुनर्वास सेवाएं देना सुनिश्चित करना है। ये सेवाएं दिव्यांगता के प्रभाव को कम करने तथा बच्चों के संभावित विकास को यथासंभव शीघ्र बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण हैं।

(v) **जागरूकता सृजन एवं प्रचार तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना**

जागरूकता सृजन एवं प्रचार तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण योजना नामक यह केन्द्रीय क्षेत्रक योजना, दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए विभाग की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में सामान्य जागरूकता सृजित करने तथा केन्द्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों के प्रमुख पदाधिकारियों को प्रशिक्षित और संवेदनशील बनाने के लिए कार्यान्वित की जा रही है।

दिव्यांगजनों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मंच प्रदान करने तथा उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिव्य कला मेले को जागरूकता सृजन कार्यक्रम (एजीपी) के तहत विशेष परियोजना के रूप में बढ़ावा दिया गया है। नवंबर, 2022 से देश भर में दिव्य कला मेलों (डीकेएम) का आयोजन किया जा रहा है।

योजना–वार बजट आवंटन और व्यय का विवरण अनुबंध-I पर दिया गया है।

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य–वार स्वीकृत बजट का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध – 1

" दिव्यांगजन " के संबंध में दिनांक 05/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना-वार बजट आवंटन और व्यय

(करोड़ रुपये में)

	2020 -21			2021 -22			2022 -23			2023 -24			2024 -25		
कार्यक्रम / योजना	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय	अनुमानित बजट	संशोधित बजट	वास्तविक व्यय
दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजनाएँ (डीडीआरएस)	130.00	85.00	83.18	125.00	105.00	100.90	125.00	105.00	114.69	130.00	130.00	129.98	165.00	139.00	139.39
सहायक यंत्रों व उपकरणों की खरीद और फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप)	230.00	195.00	189.13	220.00	180.00	198.70	235.00	230.00	242.29	245.00	305.00	290.60	315.00	350.00	348.81
दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	125.00	100.00	97.40	125.00	110.00	120.32	105.00	145.00	142.00	155.00	155.00	130.07	142.68	80.00	89.71
दिव्यांगजनों के अधिकारों के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा)	251.50	122.89	103.43	209.77	147.31	108.44	240.39	100.00	65.59	150.00	67.00	76.79	135.33	111.00	44.16

अनुबंध – II

" दिव्यांगजन " के संबंध में दिनांक 05/08/2025 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2743 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत बजट का राज्यवार विवरण

दिव्यांगजनों को सहायक यंत्रों व उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए सहायता (एडिप)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2020 -21	2021 -22	2022 -23	2023 -24	2024 -25
1	अंडमान और निकोबार	8.29	8.06	7.23	0.06	14.50
2	आंध्र प्रदेश	303.32	1194.80	686.16	2084.39	1686.58
3	अरुणाचल प्रदेश	14.90	20.79	1003.06	4.57	10.13
4	असम	639.01	341.62	-	1302.62	1075.56
5	बिहार	645.19	496.22	1076.87	2427.1	785.37
6	चंडीगढ़	31.68	9.76	39.12	31.39	186.78
7	छत्तीसगढ	403.22	118.44	152.36	37.42	231.70
8	दिल्ली	38.33	268.36	247.13	423.51	907.76
9	गोवा	156.50	2.24	0	40.66	33.18
10	गुजरात	946.82	993.29	443.07	1539.78	3244.66
11	हरियाणा	134.94	338.85	678.06	1077	750.92
12	हिमाचल प्रदेश	169.70	68.74	143.74	153.25	157.36
13	जम्मू और कश्मीर	151.22	311.89	507.60	542.88	328.60
14	झारखंड	104.80	380.45	851.16	629.64	836.88
15	कर्नाटक	92.15	249.31	421.81	1248.22	1324.58
16	केरल	425.57	168.60	222.35	563.87	152.72

17	लद्दाख	-	-	1.89	28.79	13.39
18	लक्षद्वीप	-	-	-	1.66	18.83
19	मध्य प्रदेश	1995.08	2693.85	1732.72	4283.69	2520.72
20	महाराष्ट्र	8511.82	7913.55	1568.47	4211.25	2636.50
21	मणिपुर	73.15	47.25	47.93	21	43.97
22	मेघालय	7.45	19.94	172.87	3.87	50.84
23	मिजोरम	-	5.78	0.13	10.41	29.78
24	नागालैंड	6.55	28.47	23.82	3.16	47.82
25	ओडिशा	982.29	882.07	784.57	953.44	1579.03
26	पुदुचेरी	5.98	37.73	-	24.37	102.59
27	पंजाब	326.70	1281.55	902.06	1703.61	2029.32
28	राजस्थान	731.50	452.83	667.52	2155.48	1697.81
29	सिक्किम	7.91	0.00	3.15	4.27	2.68
30	तमिलनाडु	623.28	1336.24	859.85	1137.29	416.12
31	तेलंगाना	355.19	1134.44	420.54	1389.14	1417.24
32	दादरा एवं नगर हवेली	17.79	5.42	21.13	4.78	54.05
33	त्रिपुरा	46.05	59.54	292.69	89.49	90.32
34	उत्तर प्रदेश	2750.69	2855.02	3823.14	7479.29	9244.49
35	उत्तराखंड	80.32	132.48	185.59	275.44	401.98
36	पश्चिम बंगाल	715.28	267.67	1587.88	958.23	1358.66
	कुल	**21502.66**	**24125.24**	**19575.68**	**36845.02**	**35483.41**

दीनदयाल दिव्यांगजन पुनर्वास योजना (डीडीआरएस)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2020 -21	2021 -22	2022 -23	2023 -24	2024 -25
1	आंध्र प्रदेश	1639.88	1779.89	2648.41	2851.56	2728.44
2	असम	90.7	167.76	261.34	136.87	238.29
3	बिहार	-	41.89	33.54	68.65	61.27
4	छत्तीसगढ	1.63	47.58	-	-	74.14
5	दिल्ली	247.67	162.74	185.51	166.89	220.24
6	गुजरात	43.32	120.66	72.77	95.19	120.09
7	हरियाणा	140.19	101.99	128.93	174.61	155.19
8	हिमाचल प्रदेश	69.2	67.15	69.05	84.13	103.98
9	झारखंड	-	-	26.09	-	-
10	कर्नाटक	81.3	135.6	139.92	73.73	94.881
11	केरल	628.3	725.3	762.41	455.2	1737.41
12	लद्दाख	-	-	-	0.44	-
13	मध्य प्रदेश	248.31	325.57	382.72	484.55	344.3
14	महाराष्ट्र	180.11	71.46	383.87	311.19	111.28
15	मणिपुर	596.24	741.55	1016.29	946.48	1162.44
16	मेघालय	105.37	29.64	101.76	87.86	202.67
17	मिजोरम	11.73	-	29.22	17.26	41.28
18	नागालैंड	26.32	-	30.36	46.83	38.28
19	ओडिशा	789.16	1457.59	929.8	1382.09	1293.27
20	पंजाब	98.92	149.27	168.06	211.68	304.1

21	राजस्थान	150.58	286.26	239.28	320.06	418.05
22	तमिलनाडु	208.25	137.06	184.7	312.15	267.91
23	त्रिपुरा	-	-	15.57	51.67	-
24	उत्तर प्रदेश	1335.24	1389.36	1147.75	1653.52	2167.99
25	उत्तराखंड	102.68	68.67	87.29	80.48	165.37
26	पश्चिम बंगाल	336.31	606.89	811.67	782.79	658.53
27	तेलंगाना	1168.25	1439.72	1527.48	2121.26	1781.43
	कुल	**8318.14**	**10089.49**	**11469.06**	**12997.79**	**14573.6***

***** दिनांक 31.03.2025 को टीएसए खाते से लगभग 6.7 करोड़ रुपये सीएफआई को वापस कर दिए गए।

दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएँ

(करोड़ रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1.	आंध्र प्रदेश	2.42	4.75	6.26	3.45	1.28
2.	असम	0.75	2.02	0.67	1.07	0.27
3.	बिहार	3.68	9.05	5.43	11.94	6.44
4.	चंडीगढ़	0.08	0.03	0.19	0.75	1.65
5.	छत्तीसगढ	0.13	1.53	3.01	0.76	1.20
6.	दादरा और नगर हवेली	-	0.01	0.03	0.01	-
7.	दिल्ली	1.14	1.03	1.66	1.29	0.55
8.	गोवा	0.04	0.06	0.04	0.03	0.07
9.	गुजरात	3.24	2.76	2.56	2.63	2.84
10.	हरियाणा	0.57	1.07	1.29	0.95	0.27
11.	हिमाचल प्रदेश	0.49	0.58	1.31	1.09	0.74
12.	जम्मू और कश्मीर	2.44	1.77	1.88	2.18	0.35
13.	झारखंड	0.79	0.99	8.32	3.43	1.03
14.	कर्नाटक	5.44	16.93	16.29	23.20	7.52
15.	केरल	4.10	7.22	7.62	6.29	6.52
16.	मध्य प्रदेश	4.60	9.73	18.03	3.93	3.93
17.	महाराष्ट्र	2.49	5.83	5.99	6.73	4.00
18.	मणिपुर	0.01	-	0.11	0.16	0.17
19.	मेघालय	-	0.06	0.01	0.05	0.12
20.	मिजोरम	-	0.02	0.14	0.07	-
21.	नागालैंड	0.05	0.01	-	0.01	-
22.	ओडिशा	3.01	5.40	6.11	4.36	6.02
23.	पुदुचेरी	0.27	0.29	0.30	0.39	0.18
24.	पंजाब	1.55	2.12	1.74	2.35	0.23
25.	राजस्थान	1.43	4.08	3.54	3.51	2.75
26.	सिक्किम	-	-	-	-	0.04
27.	तमिलनाडु	5.26	9.15	13.46	10.69	7.07
28.	तेलंगाना	6.05	6.40	8.86	6.76	1.51
29.	त्रिपुरा	0.10	1.19	0.48	1.86	0.17
30.	उत्तराखंड	0.46	0.96	1.05	0.45	0.62
31.	उत्तर प्रदेश	36.76	32.90	24.33	24.86	6.50
32.	पश्चिम बंगाल	4.42	3.49	4.49	5.22	0.70
	कुल	53.05	54.09	52.67	49.84	25.79

एआईसी/बाधा मुक्त वातावरण

(लाख रूपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	अरुणाचल प्रदेश	783.99	1447.67	508.93	-	1482.1
2	असम	-	-	542.34	80.16	-
3	छत्तीसगढ	91.77	-	-	-	-
4	गोवा	-	-	99.21	-	-
5	गुजरात	-	477.95	-	-	-
6	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	102.55
7	मध्य प्रदेश	95.49	2074.06	85.46	225	-
8	महाराष्ट्र	627.42	-	503.93	-	819.86
9	मणिपुर	-	1379.15	208.61	-	-
10	मेघालय	-	1320.82	-	847.12	-
11	मिजोरम	108.94	-	-	-	-
12	नागालैंड	317.61	-	-	95.65	-
13	पंजाब	-	-	325.7	-	-
14	राजस्थान	-	-	-	339.5	-
15	सिक्किम	-	-	-	416.5	-
16	तमिलनाडु	2856.37	648.69	-	-	-
17	त्रिपुरा	587.44	-	-	-	-
18	उत्तराखंड	280.28	-	28.65	-	15.6
19	उत्तर प्रदेश	417.94	35.64	-	-	389.5
20	पश्चिम बंगाल	-	297.5	76.53	-	-
21	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	448.59	-	-	-	-
	कुल	**6615.84**	**7681.48**	**2379.36**	**2003.93**	**2809.61**

विशिष्ट दिव्यांगता आईडी (यूडीआईडी)

		2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)	जारी निधियां (लाख रूपये में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	4.50	8.04	6.00	6.50
2	आंध्र प्रदेश	29.25	6.00	5.00	6.00	5.20
3	अरुणाचल प्रदेश	2.48	23.25	6.00	3.00	6.00
4	असम	6.00	6.70	7.13	3.00	4.00
5	बिहार	6.00	59.36	5.00	6.00	6.30
6	चंडीगढ़	-	-	6.75	4.37	6.30
7	छत्तीसगढ	30.76	6.50	-	-	-
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	-	5.87	-	-	6.00
9	दिल्ली	6.00	5.29	4.28	6.00	1.00
10	गोवा	1.50	12.29	3.00	3.00	3.00
11	गुजरात	6.00	36.00	6.00	3.00	4.43
12	हिमाचल प्रदेश	6.00	-	4.57	5.78	3.15
13	जम्मू और कश्मीर	-	-	16.00	-	-
14	झारखंड	-	-	-	8.49	3.00
15	कर्नाटक	6.00	41.82	-	3.00	6.23
16	केरल	9.50	6.00	3.00	-	-
17	लक्षद्वीप	6.42	6.00	-	-	-
18	महाराष्ट्र	-	-	3.00	5.66	-
19	मणिपुर	-	-	18.00	6.00	3.00
20	मेघालय	6.00	14.19	-	-	-
21	मिजोरम	11.42	3.50	6.00	6.00	4.00
22	नागालैंड	6.00	9.00	3.65	6.00	4.00

23	ओडिशा	2.88	4.07	-	-	-
24	पुदुचेरी	3.00	6.00	4.00	-	2.70
25	पंजाब	12.08	26.63	-	5.09	-
26	राजस्थान	6.00	6.00	3.00	2.91	3.00
27	सिक्किम	9.00	9.00	6.00	7.50	3.00
28	तमिलनाडु	4.80	59.96	5.67	3.00	-
29	तेलंगाना	61.75	-	-	-	-
30	त्रिपुरा	-	-	15.82	-	3.52
31	उत्तर प्रदेश	65.43	-	9.76	33.70	1.20
32	उत्तराखंड	3.73	6.00	3.00	6.00	3.15
33	पश्चिम बंगाल	-	-	6.00	-	-
कुल		**308.00**	**363.93**	**158.67**	**139.50**	**88.68**

****